कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा

अति अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

पत्रांक– 1787/1ए/17 दिनांक– 26/10/17

1. महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा शासनादेश सं0 3460/23.07.08–41एम0एस0ए0/54टी.सी. III दिनांक 28.07.2008 के तहत उ0प्र0 लो0नि0वि0 में A,B,C & D श्रेणी के पंजीकृत एवं पात्र ठेकेदारों से प्रतिशत दरों में अधोलिखित कार्यो हेतु ई–निविदायें आमत्रिंत करते हैं। बिडर (Bidder) किसी अथवा सभी कार्यो हेतु बिड प्रस्तुत कर सकते हैं। बिडर को सलाह दी जाती है कि वे बिड की क्लाज–4 में निविदा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में न्यूनतम योग्यता हेतु बिडर को दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

2. विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने का समय	अधि0अभि0 कार्यालय का पता	अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय का पता	जिलाधिकारी कार्यालय का पता	मुख्य अभियन्ता कार्यालय का पता,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	इटावा	समथर से कुरखा मार्ग।	27.00	2.70	500+300 +GST	45 दिन	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा	इटावा वृत्त, लो0नि0 वि0, इटावा	जिलाधिकारी, इटावा	कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर
2	इटावा	कुदरैल से चित्तरपुरा मार्ग।	8.50	0.85	500+300 +GST	1 माह				

3 प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समयवधि वर्षाऋतु को शामिल करते हुए कॉलम नं0 7 में वर्णित है।

4 निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस होगी। प्रस्तुत की गई निविदा वापस नही ली जायेगी।

5 कार्यों से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र (Bidding document) वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है जो कि **दिनांक–27.10.17** से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।

6 निविदाएं **दिनांक–27.10.17 से 03.11.17** तक (दोपहर 12:00 तक) ऑनलाइन अपलोड की जायेगी, जिनकी तकनीकी निविदाएं अगले कार्यकारी **दिवस 06.11.17** को दोपहर 12:30 बजे से तदनुसार ऑनलाइन निविदाएं खोली जायेगी। निविदा प्राप्ति अथवा खोलने की तिथि पर कार्यालय यदि बन्द होता है तो निविदाएं अगले कार्यकारी दिवस में निर्धारित समय एवं स्थान पर ऑनलाइन खोली जायेगी। तथा निविदाओं की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। वित्तीय निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय की सूचना ऑनलाइन दी जायेगी।

7 प्रत्येक निविदादाता को मूल धरोहर धनराशि, बैंक ड्राफ्ट एवं मूल शपथ पत्र जो ऑनलाइन अपलोड किये गये है उनको मूल रूप में **दिनांक–07.11.17** को 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

8 प्रत्येक कार्य के लिए निविदादाताओं के शंका समाधान हेतु **दिनांक–02.11.17** समय 12:00 बजे अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा के कार्यालय में बैठक आहूत की जायेगी।

9 प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर धनराशि जो कॉलम सं0 5 में अंकित है, को संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा के पक्ष में बंधक होगी, जो निविदा की वैधता से 45 दिन अधिक की तिथि तक वैध होना अनिवार्य है।

10 ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा सम्बन्धी (First Blood Relations & their Spouses) जैसा कि खण्डीय लेखा अधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होगें को कार्य करने की अनुमति नही प्रदान की जायेगी।

11 ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा से दो साल सेवानिवृत्ति के पूर्ण नही हुए हैं को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति बिना नही दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुए पाये जायेगें तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

12 अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

13 कोई भी निविदादाता जो स्टेट वार काउसिंल में पंजीकृत हैं, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगा।

14 प्रत्येक बिडर को मूल्यांकन की सभी जानकारी रू0–100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र के रूप में देना अनिवार्य होगा। बिडर की बिड जो कि वांछित बिडिंग क्षमता के अनुरूप नहीं पायी जायेगी को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15 प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ सारी सूचनायें प्रपत्र निर्धारित प्रोफार्मा (T-4,T-5,T-6) की सत्यापित छायाप्रति प्रत्येक बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

16 प्रत्येक निविदादाता को सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय रेवेन्यू टिकट के बिड की वैधता के लिये अपलोड करना अनिवार्य होगा।

17 शासनादेश सं0–622/23–12–2012–2–ऑडिट/08 टीसी–2 दिनांक–08.06.12 एवं प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–379सीजी/म0ले0–लोक लेखा समिति, 12–13 दिनांक 29.06.12 के अनुसार कम दर पर निविदा डालने पर अनुबन्ध गठन के समय 10 प्रतिशत कम दर पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारण्टी ली जायेगी।

18 ठेकेदार को निविदा स्वीकृत के उपरान्त उ0प्र0 भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा उ0प्र0 नियमावली 2009 के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, कानपुर के कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

19 ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत लेबर सेस की कटौती की जायेगी।

20 उत्तर प्रदेश शासन की मार्गों की अनुरक्षण नीति के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (Defect Liability Period) दो वर्ष होगा।

(वेद नारायण)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
इटावा